बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री संदीप कुमार पाण्डेय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक–सह–प्रभारी पणन पदाधिकारी, शहरी आरा, प्रखंड सदर आरा, जिला– भोजपुर (विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3093 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा पुनपुन पटना में नवपदस्थापित) के विरूद्ध कूपन वितरण के संबंध में आयोजित की गयी बैठकों में पर्यवेक्षण करने का हमेशा निदेश दिये जाने के बाद भी इनके (श्री पाण्डेय) द्वारा पर्यवेक्षण में कमी के कारण माननीय मंत्री महोदय के समक्ष शिकायत आने संबंधित आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक– 1281 दिनांक– 15.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक– 3147 दिनांक– 04.07.2017 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक खाद्य, पटना प्रमंडल पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य अभिगठित किया गया कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निसंदेह लाभ आरोपी कर्मी को जाता है और पूर्णतया प्रमाणित नहीं प्रतीत होता है । परन्तु जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विभागीय समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित होता है कि आरोपी कर्मी द्वारा समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण ही कूपन वितरण से संबंधित शिकायत माननीय मंत्री महोदय के समक्ष पायी गयी जिसका उल्लेख संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में भी किया गया है । फलतः समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाया गया है । उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक– 1116 दिनांक– 05.3.2018 द्वारा श्री पाण्डेय से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी । परन्तु श्री पाण्डेय द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया ।

3. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री संदीप कुमार पाण्डेय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक–सह–प्रभारी पणन पदाधिकारी, शहरी आरा, प्रखंड सदर आरा, जिला– भोजपुर (विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3093 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा पुनपुन पटना में नवपदस्थापित) को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(V) के तहत **एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है** तथा उनके विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(भोजपुर)–25/2017 3626 /खाद्य,पटना/दिनांक 27.07.18

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/पटना/उप निदेशक, खाद्य, पटना प्रमंडल पटना–सह– संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर, आरा–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री संदीप कुमार पाण्डेय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक–सह–प्रभारी पणन पदाधिकारी, शहरी आरा, प्रखंड सदर आरा, जिला– भोजपुर (विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3093 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा पुनपुन पटना में नवपदस्थापित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/XVIII

सरकार के अपर सचिव।

D:\backup\Year_2018\PK\sec-03 (08-09-2018)\sec_80\ff_ord_doc AKS